


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मूलचन्द बनाम विरेन्द्र व अन्य प्रा.पत्र बाजदायरी जीसीएमएस नं 2024/98	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उन्होंने कोस्ट की राशि 2000/- अक्षरे दो हजार रुपये जरिये ई-चालान जीआरएन नम्बर 0092676261 दिनांक 31.07.2024 को राजकोष में जमा कराने की रसीद पेश कर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रार्थी की ओर से कोस्ट की राशि जरिये ई-चालान राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसे में मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मूल अपील को पुनः नम्बर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता अपील रहे। आदेश सुना गया।</p> <p style="text-align: center;"> (डॉ. प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	